

दिनांक 22.01.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन—हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्तः—

दिनांक 22.01.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०) जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक—कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है—

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):—

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
JMC-LCESPL (JV)	6	1	1	5	10	5	10	6	1	6	11	14	7	13

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
10.00	3800	12	5	21	8	11	13	13	11

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 6 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा० उच्च न्यायालय एवं 5 मा०सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को—आर्डिनेटर (DPMU) को शीघ्र ही निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

योजनाओं पर नलकूप ड्रिलिंग, पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल, गृह संयोजन, सोलर, डीजी०, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैकलाग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने तथा बैकलाग सहित निर्धारित लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाये जाने तथा पम्प हाउस व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने व अवशेष 38 योजनाओं पर सोलर पैनल का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। योजनाओं पर ड्रिलिंग किये गये 19 असफल नलकूपों में से 1 नलकूप का रिबोर कार्य एवं 4 अदद नलकूपों का डेवलपमेन्ट कार्य करा दिया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसी योजनाये जिनकी प्रगति 80 प्रतिशत है, की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अग्रिम समीक्षा बैठक उक्त कार्ययोजना के आधार पर की जायेगी।

(कार्यवाही:—परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया**अगली बैठक हेतु लक्ष्य**

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) :- Koya	-	-	1	15	5	7	4	1	10	5	5	4	4	6

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
9.00	800	10	8	10	10	10	10	9	10

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में जिला समन्वयक (DPMU) द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को शीघ्र ही निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने पर लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर तथा बिटुमिनस रोड का रेस्टोरेशन कराने व योजनाओं पर ड्रिलिंग किये गये 7 असफल नलकूपों को पुनः रिबोर कराने के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसी योजनाये जिनकी प्रगति 80 प्रतिशत है, की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अग्रिम समीक्षा बैठक उक्त कार्ययोजना के आधार पर की जायेगी।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक**अगली बैठक हेतु लक्ष्य**

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25- 50%	50- 75%	75- 99%	100%	0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik- Koya (JV) :- Rithwik	-	-	-	5	2	4	6	8	6	5	5	11	15	18

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25- 50%	50-75%	75-99%	100%
15.00	1000	4	5	25	8	3	2	2	2

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कार्य प्रभावित है। जिसके सन्दर्भ में DPMU द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को शीघ्र ही निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं पर पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, सोलर, डीजी0, रेगुलर वाटर सप्लाई एवं रोड रेस्टोरेशन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त ना होने पर लक्ष्य को अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करने व योजनाओं पर बिछायी गयी वितरण पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्ट बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षतिग्रस्त सड़क/हुये गद्दों का शतप्रतिशत मरम्मत कराकर तथा बिटुमिनस रोड का रेस्टोरेशन कराने व अवशेष 5 योजनाओं पर पम्प लोडिंग के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसी योजनाये जिनकी प्रगति 80 प्रतिशत है, की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अग्रिम समीक्षा बैठक उक्त कार्ययोजना के आधार पर की जायेगी।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) – रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(4) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	60	59	1
2	Ritwik	44	37	7
3	Koya	39	25	14
	Total -	143	121	22

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्पोन कोई DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्वार्डिनेटर को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण को माह-फरवरी 2026 में अगली बैठक से पूर्व प्रत्येक दशा में निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्डिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पेयजल योजनाओं पर अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ कराने हेतु सहायक अभियन्ता (वि०/यॉ०) जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर को विद्युत वितरण खण्ड से समन्वय स्थापित करते हुये कार्य समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं की सूची जल निगम से प्राप्त करते हुये विद्युत सम्बन्धी अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:—अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज

(महेन्द्र कुमार सिंह)
आई०ए०एस०
मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: / / दिनांक: / /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया—महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक—महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।